बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना

Email -directoracademic.bsebpatna@gmail.com

पत्रांक– BSEB(SS)/Coll-Estab/.............../D 2022 पटना, दिनांक......................../2022

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य
श्री उमेश मिश्र, रंजीत कुमार प्रकाश कॉलेज,
हाजीपुर, वैशाली पिन कोड–844504

विषयः संबद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है श्री उमेश मिश्र, रंजीत कुमार प्रकाश कॉलेज हाजीपुर, वैशाली की संयुक्त संबद्धता हेतु प्राप्त आवेदन की जॉच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, संबद्धता विनियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के आलोक में जिला स्तरीय गठित त्रिसदस्यीय समिति से करायी गयी।

उक्त त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, संबद्धता विनियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के आलोक में समिति स्तर पर की गयी।

समीक्षोपरान्त समिति की दिनांकः–01.10.2022 को संपन्न बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में आपके संस्थान को सत्र 2023–25 से कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में वित्तरहित सम्बद्धता निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	उ0मा0विद्यालय/विद्यालय का नाम	प्रखण्ड	संयुक्त संबद्धता	आवंटित कोड एवं कोटि	आवंटित कोड एवं कोटि	संकाय एवं सीट विवरणी (40 छात्र/छात्रा प्रति सेक्शन)		
				माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	कला	विज्ञान	वाणिज्य
01	श्री उमेश मिश्र, रंजीत कुमार प्रकाश कॉलेज हाजीपुर, वैशाली। SRI UMESH MISHRA RANJEET KUMAR PRAKASH COLLEGE , HAJIPUR, VAISHALI	HAJI PUR	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक	(53721) (CO-ED) (सह–शिक्षा) 120 (40 X3)	(33173) (CO-ED) (सह शिक्षा)	40 (40 X1)	40 (40 X1)	40 (40 X1)

विद्यालय/महाविद्यालय को निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :–

(1) विद्यालय /महाविद्यालय का निरीक्षण समिति, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जा सकेगा।

(2) विद्यालय /महाविद्यालय द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा/शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मार्गदर्शिका , अधिसूचना में वर्णित सभी प्रावधानों एवं अन्य आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(3) विद्यालय /महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष के आय -व्यय का अंकेक्षण कराकर इसका प्रतिवेदन समिति कार्यालय को उपस्थापन कराना अनिवार्य होगा।

(4) भविष्य में यदि यह पाया जायेगा कि विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा संबद्धता विनियमावली में वर्णित शर्तों की पूर्ति के संबंध में किसी प्रकार भ्रामक या गलत साक्ष्य/सूचना प्रस्तुत किया गया है अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय का कोड सहित संबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन

ह०/

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : BSEB(SS)/Coll-Estab/3668/D-2022 पटना, दिनांक : 21/10/2022